दैनिक भास्कर
नई दिल्ली 18-07-2025

छत्तीसगढ़ • निजता के उल्लंघन पर हाई कोर्ट का फैसला

फोन का पासवर्ड बताने के लिए पत्नी को मजबूर करना घरेलू हिंसा: कोर्ट

भास्कर न्यूज | रायपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है। फैसले में कोर्ट ने कहा कि एक पति अपनी पत्नी को उसका मोबाइल फोन या बैंक खाते के पासवर्ड साझा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। यदि पति ऐसा करता है तो यह पत्नी की निजता का उल्लंघन होगा। इसे घरेलू हिंसा का कृत्य माना जा सकता है।

जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने जोर देकर कहा कि भले ही वैवाहिक संबंधों में पति और पत्नी जीवनसाथी की तरह जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन यह व्यक्तिगत निजता के अधिकारों को नकारता नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया, 'विवाह पति को पत्नी की निजी जानकारी, संचार और व्यक्तिगत सामान तक स्वचालित पहुंच प्रदान नहीं करता है। पति अपनी पत्नी को उसके सेलफोन या बैंक खाते के पासवर्ड की जानकारी साझा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।' कोर्ट ने कहा कि 'निजता और पारदर्शिता की आवश्यकता के साथ-साथ रिश्ते में विश्वास के बीच संतुलन होना चाहिए।'

क्रूरता को आधार बनाते हुए दी थी तलाक की अर्जी

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता पति ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता को आधार बताते हुए तलाक के लिए आवेदन किया था। इसके जवाब में, पत्नी ने आरोपों से इनकार करते हुए एक लिखित बयान प्रस्तुत किया। कार्यवाही के दौरान पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह का आरोप लगाया और दुर्ग के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) देने का अनुरोध किया।

फैमिली कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी पति की याचिका

पति फैमिली कोर्ट में भी इसी तरह का आवेदन दायर किया था। हालांकि, उसकी याचिका खारिज कर दी गई। हाई कोर्ट ने इस अस्वीकृति को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय केएस पुट्टस्वामी, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड का हवाला देते हुए इस बात की पुष्टि की कि निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।

सुनवाई खत्म होने तक हाथ ऊपर रखो- समय बर्बाद करने वाले आरोपी को मिली अनोखी सजा

एजेंसी | नई दिल्ली

दिल्ली की द्वारका कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ गोयल ने एक मामले में आरोपी कुलदीप को कोर्ट का समय बर्बाद करने पर अनोखी सजा दी। आरोपी को केस की सुनवाई खत्म होने तक हाथ ऊपर कर खड़े रहने का आदेश दिया गया। यह सजा आरोपी को तय समय पर बेल बॉन्ड जमा नहीं करने पर दी गई। पिछली सुनवाई में उन्हें बेल बॉन्ड जमा करने का निर्देश दिया गया था। जज ने इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना और समय की बर्बादी मानते हुए अदालत की अवमानना करार दिया।